

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 17] दिल्ली, अप्रैल 23—अप्रैल 29, 2010, बृहस्पतिवार/वैशाख 3—वैशाख 9, 1932 [रा.रा.क्षे. सं. 22,24,27]
 No. 17] DELHI, APRIL 23—APRIL 29, 2010, THURSDAY/VAISHAKHA 3—VAISHAKHA 9, 1932 [N.C.T.D. Nos. 22,24,27]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

(कार्यालय : पंजीयक सहकारी समितियां)

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2010

सं. फा. स वि/03/स.अ./उत्तर/सह./422.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम -3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, रिवियेरा अपार्टमेंट्स ओनर्स सहकारी हाउसिंग समिति (03/अ.) की धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 11-09-2010 तक बढ़ाई जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उसके नाम पर,
 वी. एस. रावत, संयुक्त सचिव (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE

(Office of the Registrar Cooperative Societies)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2010

No. F. RCS/03 (H)/ROCHS/AR (N)/Coop./422.—
 In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the Riviera Apartment Owners Cooperative Society Ltd. (03/H) from the provisions of Section 37 (1) (b) and accordingly extended appointment of the term of Administrator of the said society up to 11-09-2010.

By Order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V. S. RAWAT, Jt. Secy. (Cooperative)